फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रामेश्वर बनाम लादू वगैरा

किस्म मुकदमा वाद नं० 75 सन 2019

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.8.19	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण का सम्मन नोटिस जारी किया जाय। पत्रावली दिनांक 18.10.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
18.10.19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये. विपक्षी सं० 1, 3, 4 को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही. इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है. विपक्षी सं० 2 स्वंय उपस्थित, वकील वादी ने बहस करनी चाही. वकील वादी की बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। विपक्षी सं. 2 ने विवादित आराजियात का कब्जे व हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे तो कोई आपत्ति नही। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है. वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोडास, पटवार हल्का कबराडिया तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 560 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 561 18 बिस्वा, आराजी नं० 569 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे वादी का 1/3 हक हिस्सा एंव प्रतिवादी [illegible] का 1/3	प्रेमलाल कब्जे व हिस्से के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे शिवलाल 18.10.2019 ह० आदेशानुसार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:32:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	एक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 एक हिस्सा अनुसार कब्जे एवं एक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जावे, विभाजन स्कीम तैयार किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री की नकल तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे, वास्ते पत्रावली मे विभाजन स्कीम बेरतंजार हेतु नियत दिनांक 29.11.19 को पेश हो।
29.11.19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31.1.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
31.1.20	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पत्रावली मे बहस हेतु नियत दिनांक 11-2-20 को पेश हो।
11-2-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31.3.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल
31.3.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9.6.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
9-6-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
28.7.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22.9.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:32:59 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.20	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वकील वादी ने बताया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है उक्त प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रा॰पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वादी प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल, जिला भीलवाड़ा	[signature] (अधिवक्ता वादी) 2-9-2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:32:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner